भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1405

उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

सरकारी विद्यालयों में नामांकन में गिरावट

†1405. **डॉ. बायरेड्डी शबरी:**

डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में संचालित सरकारी विद्यालयों की संख्या के साथ-साथ पिछले दस वर्षों के दौरान देश भर में स्थापित नए विद्यालयों और बंद किए गए, विलय किए गए या समेकित किए गए विद्यालयों का, बंद करने या विलय करने के कारणों सहित वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दस वर्षों के दौरान देश भर के सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों की संख्या का वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और लिंग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान देश भर के सरकारी स्कूलों में नामांकन में किसी महत्वपूर्ण अंतर-राज्यीय भिन्नता या वर्ष-वार गिरावट को देखा है और यदि हाँ, तो आंध्र प्रदेश के जिला-वार ब्यौरे सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) निजी स्कूलों में छात्रों के पलायन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक क्या हैं और सार्वजनिक स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सभी सरकारी स्कूलों का निरीक्षण, ऑडिट और गुणवत्ता मूल्यांकन नियमित या व्यापक रूप से नहीं किया जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार का रोडमैप, समय-सीमा और प्रस्तावित निगरानी तंत्र सहित 100 प्रतिशत कवरेज के साथ मिशन-मोड के आधार पर सभी स्कूलों के समयबद्ध निरीक्षण और संपरीक्षा सुनिश्चित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। स्कूलों को खोलना, बंद करना और युक्तिकरण संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दायरे में है। यूडाइज़+ (शिक्षा के

लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस) के अनुसार, वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक सरकारी स्कूलों की संख्या और इन स्कूलों में जेंडरवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार नामांकन का विवरण https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

यूडाइज़+ के अनुसार, वर्ष 2023-24 से 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूलों में जिलावार नामांकन https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

समग्र शिक्षा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित करने, प्रत्येक स्कूल को अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के लिए सहयोग, आईसीटी और डिजिटल पहल, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, पढ़े भारत बढ़े भारत आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना माध्यम से सहायता प्रदान करती है और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत बालवाटिका से कक्षा 8 तक गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने और नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए उत्तर प्रदेश सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्तर तक नए स्कूलों को खोलना/सुदृढ करना, स्कूल की आधारभूत संरचना को सुदृढ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना और उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के नाम से आवासीय स्कूल/छात्रावास की स्थापना, प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावास, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान, मौसम अनुरूप छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और निःशुल्क यूनिफॉर्म, परिवहन/मार्गरक्षण सुविधा आदि, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सहायता और उपकरणों हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

सचिव (डीओएसईएंडएल) की अध्यक्षता में पीएम पोषण की कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किए गए सामाजिक लेखापरीक्षा की निगरानी करती है और पीएम पोषण दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों को मंजूरी भी देती है। पीएबी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर तैयार करने और सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और कृत कार्रवाई रिपोर्ट साझा करने की सलाह भी देता है। सामाजिक लेखा परीक्षा पर व्यय को योजना के प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन (एमएमई) घटक से पूरा किया जाता है।

******